

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय एवं बास से ही नियम जारी की जाएगी।
तान्त्रिक विषय पर यदि पूर्ण में पञ्च
व्यवहार दुआ हो तो पञ्च क्रांति एवं विषय
अवधि लिखा जाए जिससे दाखिला हो।



ग्राम : गुरुगढ़पुरी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रधक :

कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4684

दिनांक: ३.१.०३.१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अधिकृत शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर (09425701970) के सन्त्र 2011-12 के लिये प्रत्यापित संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की असाधारण सम्बद्धता हेतु अबुर्जार्थी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारीयम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्वर्गत विकासानुसार निरीक्षण लम्हिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिकारी महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)

(0751-2442828)

(2) प्रो. डी.ए.ब. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. अनंतना मिश्रा, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे ग्रामियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घोषणा राशि, गोपनीय/अशोषणीय स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अवृगति/अग्रापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिषद एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति नव प्राप्त वर्ष के तथा प्राचार्य/शोक्षणिक एवं अशोषणीय स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में रपट विवरण/अबुर्जार्थी समिति करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना एवं प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्वर्त निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्पक स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उत्तर विवरण में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरवाचित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति सभ्य का पञ्च प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की जई देशी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। निरीक्षण आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की भेजी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वयं विस्तृत ही जागरूक और पुकार निरीक्षण को दफ्तर स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तपायत एवं निरीक्षण समिति का पुरुषगत किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(1) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छवियों को प्रवेश देना अवैधिक है।

निरीक्षण समिति के लाय सम्बद्धता शाला में कार्यालय अधिकारी/ कार्यालय उपायक प्रशावली लेकर जाएंगे तथा महाविद्यालय की गत्युक्ति से निरीक्षण समिति को अवगत करायें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. डी.ए. मानदेव महाविद्यालय हाया देते होंगे।

कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, चंबैवित महाविद्यालय की ओट भेजकर आवाह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिवाने के विभागित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्वर्त कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के विजी उपायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसंचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र अध्यक्षर कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय के बारे में ही किया जाने जा सकता है।
सम्बन्धित विषय पर यदि दूर्घटना हो तो उत्तर अध्यक्षर कुलपति एवं विभाग
अध्यक्ष लिखा जाने जिससे संविधा हो।



ग्राम : ग्रामीणरेखी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442825
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ.सम्बद्धता/2009/ ५२२७

दिनांक: ३.९.२०१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध क्रमिकुल युप ऑफ रॉलेज, ग्वालियर (09425701970) को लग्ज 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. ड्वितीय वर्ष, बी.सी.ए. ड्वितीय वर्ष, बी.एस-सी. ड्वितीय वर्ष, (बायो) युप एवं अंतिमि. माइक्रोबायोलॉजी), पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी कम्बलता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति भ्रष्टाचार/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वे विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गर निजनामुखार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. चार्जीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828)

(2) प्रो. डी.एम. गोस्वामी, आचार्य, कर्पूरा लाइसेंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. एस.डी. सिसोदिया, उपाचार्य, पुरातत्त्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(4) प्रो. ए.के. शर्मा, शासकीय एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के ग्रादप्राप्तों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रस्तक निरीक्षण कर सुन्तु, धोहर राशि, वांचित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमतिप्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईजेब्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा ग्रामाण पत्र के तथा ग्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का ग्रामाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र ग्रामाण द्वारा के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं अधिकारी द्वारा संयोक्त स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक द्वारा निरीक्षण के लिये उक्त निरीक्षित समय में निरीक्षण कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जल्मा करके का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का ढोना।

समिति गठन का पत्र प्राप्त द्वारे के बाद निरीक्षण में की गई देशी के लिए ग्रामविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। निरीक्षण की सूचना आयुर्वा, उच्च शिक्षा, शोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह तक निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वयं निरीक्षण करेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को ८५८ स्वरूप रु. 25,000/- जगा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(1) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन अधिकों को प्रवेश देजा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के द्वारा सम्बद्धता शास्त्र में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय अधीक्षक प्रबाधनी लेफ्ट जार्डेंगे तथा महाविद्यालय की सम्बुद्धिता से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / ग्रामीण महाविद्यालय द्वारा देय होंगा।

कुलसंचित

प्रतिलिपि :-

1. समस्त दादस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आश्रित है कि समिति के संयोजक द्वारा संयोक्त स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निरीक्षित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, अंतर्मुद्दा अकादमी, शोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसंचित के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सदा, कुलसंचित (सम्बद्धता)